2112
24-10-2018

दूरभाष – 05278.245957

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0/रा0से0यो0/1960/2018–19 दिनांक 23/10/2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

फैजाबाद जिले से सम्बद्ध सभी सम्बन्धित महाविद्यालय।

विषयः–सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मलित कराने के विषय में।

महोदय,

संलग्न जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 38/पुनरीक्षण–2018–19/स्वीप दिनांक 03/10/2018 का संर्दभ ग्रहण करे सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01/01/2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01/09/2018 को किया जाना है। दावे एवं आपात्तियॉ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31/10/2018 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के उद्‌देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

अतः आप लोगों से अनुरोध है कि संदर्भित संलग्न पत्र के र्निदेशानुसार दावे एवं आपत्तिया दिनांक 31/110/21018 तक जिला निर्वाचन कार्यालय मे भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक उक्तवत

भवदीय

डा0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित

1:– निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।

2:– ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करनें का कष्ट करें।

डा0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक

322
16/10/18

Most Important/Time Bound

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, फैजाबाद।

संख्या 38 /पुनरीक्षण–2018–19/स्वीप दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

1– मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, स्वीप, फैजाबाद।
2– **कुल सचिव,** डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3– **कुल सचिव** नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
4– समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, फैजाबाद।
5– समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधकारी/सहायक निर्वा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, फैजाबाद।
6– **प्राचार्य/प्राचार्या** समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त, निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थान, जनपद–फैजाबाद।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–1785/सीईओ–4–24/4–2018, दिनांक 16–08–2018 जो इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या–157/पुनरीक्षण–2018 दिनांक 18 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01.01.2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01.09.2018 को किया जाना है। दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31.10.2018 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

2– इस संबंध में अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किये जानी अपेक्षित हैः–

1– समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **'कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क'** की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि पात्र छात्र सुविधा जनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध करा दिये जाय।

2– संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि किसी कठिनाई की दशा में संबंधित से सम्पर्क किया जा सकें।

3– राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाय।

4– प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जाय, जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण कराया जाय।

5– कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जांय कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा 01–01–2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया हैः–

E:\New folder\my doc\Tauseef\SVEEP 2017.docx

A.

क्र0सं0	नाम	पिता / पति का नाम	EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0 / आवेदन किय जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः
पताः
मोबाइल नं0...

6– दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को आलेख प्रकाशन किया जाना है तथा विशेष अभियान हेतु दिनांक 09 सितम्बर, 2018, 23 सितम्बर, 2018, 07 अक्टूबर, 2018, 14 अक्टूबर, 2018 तथा 28 अक्टूबर, 2018 की तिथियॉ निर्धारत है। अतः 01 सितम्बर, 2018 को जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि जिला मुख्यालय के किसी बड़े कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करने का कष्ट करें, इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर बी0एल0ओ0 द्वारा आयोजित किया जायेगा और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी जिला स्तरीय अधिकारी सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु भेजा जाय।

7– राजकीय विभागों / अर्द्धशासकीय संस्थाओं / बैंक / पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाय।

8– मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिए समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों / एसोशिएसन यथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों / सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्रदान किया जाय एव उनके माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाय।

9– समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे यदि समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेबिल एजेण्टों की तैनाती न कर पाये हों तो उन्हें तैनात करने का अनुरोध किया जाय।

10– समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाय।

11– दावे और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि जो 31 अक्टूबर, 2018 तक है, की अवधि म जिले प्रमुख संस्थानों में अलग–अलग तिथियॉ निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक–एक कार्यक्रम आयोजित कराकर प्राप्त मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें इन कार्यक्रमों का फोटो / वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टी0वी0 चैनलों एंव स्थानीय समाचार पत्रों में इससे सम्बधित कवरेज कराया जाय।

12– दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को कार्यक्रम का शुभारम्भ एंव अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया / फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियॉ इस कार्यालय को भेजी जाय।

13– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विशेष अभियान तिथि दिनांक 09 सितम्बर, 2018, 23 सितम्बर, 2018, 07 अक्टूबर, 2018, 14 अक्टूबर, 2018 तथा 28 अक्टूबर, 2018 को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें और यह देखेंगें कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।

14– दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के कार्यक्रम, विशेष अभियान तिथियों के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउन्ट पर अपलोड किये जाये ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।

15– जिले समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसील स्तरीय अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारी प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ इसे भी जोड़ने का कष्ट करें एवं यह सुनश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी शीघ्र अति–शीघ्र पहुँच जाय।

16– इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने अवधि दिनांक 31.10.2018 तक है। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल करने सम्बंधी कार्यवाहियाँ दिनांक 31.10.2018 तक करलें ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान–पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

17– रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति दिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में शिथिलता न आने पाये।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–160/पुनरीक्षण–2018–19/स्वीप दिनांक 23 अगस्त, 2018 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का आप सभी भली–भाँति अध्ययन करते हुए अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें, और निर्धारित प्रमाण–पत्र एवं सूचना व समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्राचार्या अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि की सूची **(जिला निर्वाचन कार्यालय)** में दिनांक **28.08.2018 तक** तथा कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से वांछित संलग्न निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने स्तर से संकलित निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी को **दिनांक 01–11–2018 तक** अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परन्तु किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। जो आयोग के निर्देशों की अवहेलना है।

अतएव आप सभी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का आप सभी भली–भाँति अध्ययन करते हुए अक्षरशः अनुपालन समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें, और निर्धारित प्रमाण–पत्र एवं सूचना व समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्राचार्या अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि की सूची **(जिला निर्वाचन कार्यालय)** में प्रत्येक दशा में दिनांक **05.10.2018 तक** तथा कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से वांछित संलग्न निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने स्तर से संकलित निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी को **दिनांक 01–11–2018 तक** अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अनिल कुमार)
जिला निर्वाचन अधिकारी
फैजाबाद।

संख्या (1)/पुनरीक्षण–2017, तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य जनपद स्तरीय ई0एल0सी0 कमेटी जनपद–फैजाबाद।

2– डा0 मिर्जा शहाब शाह, रीडर (वाणिज्य संकाय), का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद/जिला स्वीप कोआर्डिनेटर, फैजाबाद को अनुपालनार्थ।

(डॉ0 अनिल कुमार)
जिला निर्वाचन अधिकारी
फैजाबाद।

E:\New folder\my doc\Tauseef\SVEEP 2017.docx